न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–123 / 2020 (2020 / 00645) दर्ज दिनांक 20.11.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. प्रथु आत्मज घासी ढोली निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती पानी पुत्री घासी ढोली निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रूपा आत्मज घीसा भील निवासी गंभीरपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. लेहरू आत्मज लादूलाल भील निवासी गंभीरपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. कान्ता पुत्री लादूलाल बलाई नाबालिग बविलायत माता श्रीमती संतोकी पत्नि लादूलाल बलाई निवासी गिरडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. धर्मचन्द पुत्र लादूलाल बलाई नाबालिग बविलायत माता श्रीमती संतोकी पत्नि लादूलाल बलाई निवासी गिरडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. नानू आत्मज उदा बलाई निवासी गिरडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. भावना पुत्री लादूलाल बलाई नाबालिग बविलायत माता श्रीमती संतोकी पत्नि लादूलाल बलाई निवासी गिरडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
7. मांगू आत्मज उदा बलाई निवासी गिरडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
8. श्रीमती संतोकी पत्नि लादूलाल बलाई निवासी गिरडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9. किशोर आत्मज लेहरू भील निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
10. घीसुलाल आत्मज लेहरू भील निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
11. बाबू आत्मज लेहरू भील निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
12. हरलाल आत्मज लेहरू भील निवासी खजुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
13. मीठालाल आत्मज बख्तावर नाई निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री जगदीश चन्द्र व्यास

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1[illegible] लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.16 15:30:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–07.09.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1395 रकबा 0.50 हे0, 1485 रकबा 0.76 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 136 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Raj

उप खण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

प्रकरण संख्या :—123 / 2020 (2020 / 00645)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 3 लगायत 11, 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 12 के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1395 रकबा 0.50 हे0, 1485 रकबा 0.76 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 136 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550/– (पांच सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की राशि 550/– (पांच सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक कमिश्नर फीस राशि 550/– (पांच सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.16 15:30:19 IST
Reason: SelfAttested